प्रेस नोट ***24/10/2024***

<u>दिनांक 22.10.2024 को थाना सरायलखन्सी क्षेत्रान्तर्गत बढुआ गोदाम में ट्रक ड्राइवर की हत्या की घटना को अन्जाम देने वाला बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में–</u>

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री महेश सिंह अत्रि के पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 23.10.2024 को थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 432/2024 धारा 103(1) बी.एन.एस. थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ से सम्बन्धित नामांकित आरोपी गाड़ी टेलर नं0 यूपी52बीटी3120 के खलासी बालअपचारी को मऊ रेलवे स्टेशन तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है। पकडे गये अपचारी किशोर से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि वह गाड़ी नं0 यूपी52बीटी3120 टेलर में ट्रक ड्राइवर सन्तोष कुमार के साथ खलासी के तौर पर काम करता था दिनांक 21.10.2024 को हम लोग मिर्जापुर गिट्टी लोड करने जा रहे थे कि बढुआ गोदाम शराब ठेके के सामने बने यात्री टिन शेड में गाड़ी खड़ा करके ड्राइवर सन्तोष सो रहे थे। जब ड्राईवर संतोष कुमार गाड़ी में सो गये तब मैं गाड़ी की निगरानी कर रहा था गाड़ी की निगरानी करते समय मैं संतोष कुमार का मोबाईल ले लिया और उसमें की रिकार्डिंग सुनने लगा जिसमें कुछ रिकार्डिंग मेरी प्रेमिका तथा ड्राईवर सन्तोष कुमार की थी मेरी प्रेमिका से ड्राईवर ने कई बार बातचीत किया था जिसकी रिकार्डिंग मैने सुना, रिकार्डिंग सुनने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया इसके बाद मैं सोते हुये ड्राईवर संतोष कुमार के सिर पर गाडी में रखे लोहे की राड से कई वार किया। जिसके कारण उसकी गाड़ी के केबिन में सीट पर ही मृत्यु हो गयी। मेरे पैन्ट में खून लगा था उसको उतार कर मैने टीन शेड के पीछे फेंक दिया और दूसरी पैंट पहनकर हत्या करने के बाद मैं गोरखपुर पहुंचा, तब मुझे याद आया कि मेरा पैसा तो ड्राईवर की हत्या करते समय जो पैन्ट मैं पहना था उसी में रह गया है। उसी पैसे के लिये दिनांक 23.10.2024 की रात में मैं गोरखपुर से ट्रेन पकड़कर मऊ पहुँचा और पैसा लेने के लिये जा रहा था कि रास्ते में मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़े गये अपचारी किशोर की निशानदेही पर मृतक ड्राइवर तथा आरोपित खलासी की दो अदद मोबाइल, एक अदद पैन्ट, एक अदद शर्ट अपचारी किशोर की बरामद हुए हैं। उम्र के आधार पर आरोपित नाबालिक है। जिसके विरुद्ध अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण कर उसे माननीय न्यायालय भेजा गया।

बालअपचारी का विवरण–

1. घटना कारित करने वाला अपचारी किशोर को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 432/2024 धारा 103(1) बी.एन.एस.थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक श्री राजकुमार सिंह, हे0का0 सुनील यादव, का0 अभिषेक कुमार, का0 मौर्या दीपक कुमार, उ0नि0 श्री प्रभात चन्द्र पाठक बाल कल्याण अधिकारी, म0उ0नि0 नेहा पटेल, म0आ0 कविता पासवान, आ0 रवि प्रजापति

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत एससी/एसटी एक्ट में दोषसिद्ध 01 अभियुक्त 03 वर्ष के साधारण कारावास व ₹3,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 24-10-2024 को मु0अ0सं0 139/2017 धारा 323, 504 भादवि व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट थाना दोहरीघाट में दोषसिद्ध अभियुक्त घनश्याम राय उर्फ गुड्डू पुत्र उदयभान निवासी धनौली रामपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 03 वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं ₹3,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सत्येन्द्र नाथ राय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी श्यामधर यादव थाना दोहरीघाट का सराहनीय योगदान रहा।

आगामी त्योहारों को लेकर जनपद में शांति/सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में आज दिनांक 22.10.2024 को थाना हलधरपुर, दोहरीघाट व घोसी आदि थानों में क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारियों द्वारा लक्ष्मी पुजा, गणेश पुजा के प्रतिमा आयोजकों, डीजे संचालकों एवं ज्वेलर्स तथा व्यापारीगणों के साथ गोष्ठी की गयी जिसमें शांति/सुरक्षा व्यवस्था से सम्बन्धित उनकी समस्याओं को पूछा गया तथा विभिन्न बिन्दुओं पर वार्ता की गयी। इस दौरान विभिन्न आवश्यक दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में अवगत कराते हुये हर समय पुलिस सहायता उपलब्ध कराने हेतु सभी को आश्वस्त किया गया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी घोसी, प्रभारी निरीक्षक घोसी, हलधरपुर, दोहरीघाट उपस्थित रहे ।